न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 07/21 **निर्णय दिनांकः–08-01-2025**
(जीसीएमएस संख्या 2021/23)

1. मनजीत सिंह पुत्र बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 83/33 अरावली मार्ग मानसरोवर जयपुर।
2. विनयजीत सिह पुत्र बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 83/33 अरावली मार्ग मानसरोवर जयपुर।
3. धोली देवी पत्नी बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 83/33 अरावली मार्ग मानसरोवर जयपुर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. बुधाराम पुत्र कानाराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 21–10–2020

उपस्थितः–
1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 21–10–2020 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर विधि विरूद्व तरीके से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक 'अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम उडसर के खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 9.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.13 हेक्टर कुल तादादी 9.45 हेक्टर भूमि स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी जोत खेत खसरा नम्बर 464 रकबा 3.04 हेक्टर भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् को उसके खेत के उपयोग व उपभोग से वंचित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वह अपीलार्थी की भूमि में से अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य को रास्ता उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु नोखा से सुजानगढ़ हाईवे पर खसरा नम्बर 478/450 व अन्य उडसर से झाडेली रोड पर अन्य नजदीकी रास्ता पक्की डामर रोड़ खेत खसरा नम्बर 535/461 के पश्चित की तरफ से फटकर अपने खेत में आवागमन हेतु रास्ता लगता है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अर्सेदराज से आवागमन करता आ रहा है उक्त रास्ता मौके पर काफी समय से चल रहा है। वास्तव में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी अपीलार्थी के खेत में से आता जाता रहा है ना ही मौके पर ऐसा कोई मार्ग आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध है। उक्त तथ्यों को साबित करने का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 251–ए के प्रावधान लागू नहीं होते है। ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व से ही आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है तो धारा 251 –ए के तहत नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी काश्तकार अपनी सुविधा के लिये नये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रास्ते की मांग नहीं कर सकता। नये रास्ते की मांग तभी की जा सकती है, जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने कारण धारा 251 ए के प्रावधान प्रस्तुत मामलें पर लागू नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा न्यायालय का ध्यान इस और आकर्षित किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की दिनांक से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 अर्थात अपीलांट्स के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्व जारी नोटिस के आधार पर एकतरफा कार्यवाही किया जाना व एक मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान निहित है कि किसी भी मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश नलिटी आदेश की श्रेणी में आता है तथा ऐसे आदेश की विधि में कोई वैधानिकता नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251—ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 2009 पेज 483 व आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 1267 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसकी जोत खेत खसरा नम्बर 464 रकबा 3.04 हेक्टर भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में अप्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम उडसर के खेत खसरा नम्बर 457 रकबा 9.17 हेक्टर भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर उनके न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक से मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त व यह तथ्य साबित होने पर कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही उक्त रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर में रास्ता उपलब्ध करवाने से पूर्व प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खेत में पहुॅचनें के लिए सभी विकल्पों पर अपना विवेचन अंकित करते हुए ग्राम उडसर के खसरा नम्बर 457 तादादी 9.17 हेक्टर में से 97 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई इस प्रकार कुल 485 मीटर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त विवेचन यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति व अपीलांट् के धारण की भूमि में से सींव–सींव रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट् द्वारा दौराने बहस जो कथन किये गये है वह मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत किये गये कथन है। लिहाजा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश रास्ते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके पारित किया गया आदेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश पारित होने के उपरान्त डीएलसी दर से दुगनी राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है तथा राजस्व रिकार्ड में आदेश की पालना में रास्ता दर्ज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम उडसर के खसरा नम्बर 457 तादादी 9.17 हेक्टर में से 97 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई इस प्रकार कुल 485 मीटर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रास्ते के मामलों में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया तैयार किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के बाबत् संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 07–02–2020 को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी को उसकी जोत खेत खसरा नम्बर 464 में आवागमन हेतु अन्य

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा इसी प्रकार यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 457 में से होकर आवागमन करता था, वर्तमान में रास्ता बन्द है तथा इसी के साथ प्रार्थी को उसकी जोत में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 457 में से मार्ग दिया जाना अति आवश्यक माना जाना अंकित किया गया है। लेकिन अभिभाषक अपीलांट के कथनानुसार अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व ही अप्रार्थी/अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 12–02–2017 को हो चुकी थी। चूंकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड नोटिस से तामील भी मृत व्यक्ति पर करवाई। रास्ता स्वीकृत करने के पश्चात जो नियमानुसार राशि की डीडी बनवाई है वो भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध बनवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस काश्तकार की जोत में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उस काश्तकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 21–10–2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः प्रार्थना पत्र का निस्तारण करे।

8. निर्णय आज दिनांक 08-01-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर